प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.06.2026

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 इन्वर्टर व 02 पंखे बरामद।

दिनांक 10.06.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से 1 इन्वर्टर व 02 पुराने पंखे चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.06.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. सागर चौधरी पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अखाडा थाना भोजपुर गाजियाबाद 2.तुषार पुत्र बोबी निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह सामान हमने पास की एक दुकान से चोरी किया था। आज हम इस चोरी के सामान को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सागर चौधरी पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अखाडा थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष
2.तुषार पुत्र बोबी निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का 01 इन्वर्टर व 02 पंखे बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-थाना भोजपुर पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत थाना टीला मोड़ क्षेत्र में विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया।

श्री जे. रविन्दर गौड़, पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना टीला मोड़ क्षेत्र में अपराधियों एवं हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें थाना टीला मोड़ के प्रभारी निरीक्षक, समस्त चौकी प्रभारी एवं थाना पुलिस बल द्वारा सहभागिता की गई।

अभियान की प्रमुख कार्यवाही:-

- अभियान के दौरान क्षेत्र में निवासरत हिस्ट्रीशीटरों, लूट, स्नैचिंग एवं अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों का सत्यापन किया गया। संबंधित व्यक्तियों के निवास स्थानों पर जाकर उनके वर्तमान पते, गतिविधियों, रोजगार एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया गया।
- पूर्व में शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा कर उन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई। सत्यापन के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं स्थानों की गहन चेकिंग भी की गई।
- इस विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 40 अपराधियों/हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन किया गया।
- सभी सत्यापित व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने तथा कानून का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा आमजन में भय अथवा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने की चेतावनी दी गई।
- सभी सत्यापित अपराधियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस का सन्देशः-

थाना टीला मोड़ पुलिस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है,अपराधियों की निगरानी, सत्यापन एवं अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके ।

यूपी-112 परियोजना के अन्तर्गत 05 नये दो पहिया पीआरवी (पल्सर मो0सा0) को कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमान पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण में कमिश्नरेट गाजियाबाद को 05 दो पहिया पीआरवी (पल्सर मो0सा0) आवंटित की गयी है जिससे कॉलर/पीडित को आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया समय में मदद मिलेगी और रेस्पॉन्स टाइम में भी सुधार आयेगा इसके अतिरिक्त 05 दो पहिया पीआरवी वाहन के यूपी-112 कमिश्नरेट गाजियाबाद में शामिल होने से हमारी आपातकालीन सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी।

श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय द्वारा दिनांक 15.06.2026 समय 10:00 बजे पुलिस लाइन, कमिश्नरेट गाजियाबाद से निम्नलिखित थाना क्षेत्रों में 05 दो पहिया (पल्सर मो0सा0) पीआरवी (पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल) वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर संचालित किया गया। मौके पर अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल/नोडल अधिकारी यूपी-112, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात/यूपी 112, प्रतिसार निरीक्षक

द्वितीय, प्रभारी यूपी-112, उप निरीक्षक परिवहन शाखा- यूपी-112 एवं कार्यालय यूपी-112 के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे।

क्र.सं.	पूर्व में संचालित पीआरवी वाहन	वाहन का प्रकार	वाहन मेक	नये पीआरवी वाहन	थाना
1	UP32 DG 4756	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 GG 0023	कोतवाली
2	UP32 DG 4765	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 GG 0024	नन्दग्राम
3	UP32 DG 4769	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 GG 0025	नन्दग्राम
4	UP32 DG 4776	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 GG 0026	लिंक रोड
5	UP32 DG 4780	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 GG 0027	टीला मोड

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरा व घटना कारित करने के समय के अभियुक्त के रक्त रंजित कपडे बरामद।

दिनांक 11.06.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. फैसल 2.शेरुद्दीन 3.आमिर व 4.आयान निवासीगण अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र तसलीम उर्फ चीनी की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना में अभियुक्त 1. फैसल, शेरुद्दीन, आमिर व आयान के अलावा अभियुक्त साबिर पुत्र नवाब निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी गहाई थाना अलीगंज जिला एटा एवं अभियुक्त आमीन पुत्र मौ0 नफीस उर्फ भूरे निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोंग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.साबिर पुत्र नवाब निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी गहाई थाना अलीगंज जिला एटा 2. आमीन पुत्र मौ0 नफीस उर्फ भूरे निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार

थाना लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। शेष वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त साबिर ने पूछताछ करने पर बताया कि करीब डेढ वर्ष पूर्व मृतक तस्लीम उर्फ चीनी ने अपने साथी रिहान के साथ मिलकर मेरे भाई यूनुस की हत्या कर दी थी। उस मुकदमे में हमारी फूफी का लडका शेरुद्दीन गवाह था। उसी रंजिश को लेकर मृतक तस्लीम सोशल मीडिया पर तरह-तरह की वीडियो अपलोड करके धमकी देता था तथा गवाही न देने के लिए धमकाता था। इस कारण दिनांक 10.06.2026 को मैंने अपने दोस्त आमीन के साथ मिलकर मौका पाकर उसको छुरा मारकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.साबिर पुत्र नवाब निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी गहाई थाना अलीगंज जिला एटा उम्र करीब 22 वर्ष।

2. आमीन पुत्र मौ0 नफीस उर्फ भूरे निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरा व एक पुलिन्दा (जिममें अभियुक्त के घटना समय के रक्त रंजित कपडे)

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया।

श्री जे. रविन्दर गौड़, पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में अपराधियों एवं हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस उपायुक्त नगर/मुख्यालय श्री धवल जायसवाल के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर ,थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक, समस्त चौकी प्रभारी एवं थाना पुलिस बल द्वारा सहभागिता की गई।

अभियान की प्रमुख कार्यवाही:-

- अभियान के दौरान क्षेत्र में निवासरत हिस्ट्रीशीटरों, लूट, स्नैचिंग एवं अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों का सत्यापन किया गया। संबंधित व्यक्तियों के निवास स्थानों पर जाकर उनके वर्तमान पते, गतिविधियों, रोजगार एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया गया।
- पूर्व में शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा कर उन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई। सत्यापन के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं स्थानों की गहन चेकिंग भी की गई।
- इस विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 40 अपराधियों/हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन किया गया।

- सभी सत्यापित व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने तथा कानून का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा आमजन में भय अथवा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने की चेतावनी दी गई।
- सभी सत्यापित अपराधियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस का सन्देशः-

थाना कोतवाली नगर पुलिस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है,अपराधियों की निगरानी, सत्यापन एवं अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।